प्रेस नोट

सराहनीय कार्य, कानपुर देहात
दिनांक- 24.10.2026

- **थाना राजपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए गैर-इरादतन हत्या की घटना में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 लकड़ी का ड़ण्ड़ा बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 23.10.2026 को थाना राजपुर पर वादी श्री लल्लू राम पुत्र स्व0 गजोले शाक्यवार निवासी ग्राम खासबरा थाना राजपुर, जनपद कानपुर देहात द्वारा लिखित तहरीर बावत दिनांक 22.10.2026 को वादी की पत्नी रामसखी निवासी ग्राम खासबरा थाना राजपुर, जनपद कानपुर देहात को अभियुक्त द्वारा डंडे से मारपीट कर घायल कर देना तथा मरणासन्न स्थिति में छोड़कर भाग जाना तथा दौराने इलाज वादी की पत्नी रामसखी उपरोक्त की मारपीट से आयी चोटों के कारण दिनांक 23.10.2026 को मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में दी गयी। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 117/2026 धारा 115(2)/105 बीएनएस बनाम विमलेश पुत्र लल्लू राम निवासी ग्राम खासबरा थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात मूल निवासी ग्राम तरसोल थाना सिरसा कलार जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। दिनांक 24.10.2026 को थाना राजपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिरखास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त विमलेश उपरोक्त को ग्राम खासबरा मोड़ से करीब 350 मीटर आगे शिवशक्ति ट्रेडर्स के पास थाना क्षेत्रांतर्गत राजपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है

पूछताछ अभियुक्त- अभियुक्त विमलेश उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 22.10.2026 को मैं दिन में फौजी नामक व्यक्ति निवासी ग्राम रतापुर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के यहां काम करने के लिए गया था। वहां काम करने के बाद जो मजदूरी के रूपये मुझे मिले थे, उन पैसों से मैंने ग्राम पैलावर आकर देशी ठेका से दो देशी शराब के क्वार्टर और अण्डे ले लिए थे जिसको मैंने ग्राम खासबरा के पास बम्बे पर बैठकर खाया- पिया और अपने घर चला गया। घर जाने के बाद मैंने अपनी पत्नी से शराब पीने के लिए और पैसे मांगे तो मेरी पत्नी दुर्गा ने पैसे नहीं दिए जिसके बाद गुस्से में मैं संदूक में पड़े कपड़ों में आग लगाने के लिए संदूक का ताला तोड़ने के लिए गया तो मेरी पत्नी मुझे रोकने लगी तो मैंने अपनी पत्नी दुर्गा को दो-चार थप्पड़ मार दिए। शोर- शराबा सुनकर मेरी मां रामसखी बीच- बचाव करने आई तो पास में ही पड़े लकड़ी के एक ड़ण्ड़े को मैंने अपनी माँ रामसखी को तीन-चार बार मार दिया था जिससे मेरी माँ को काफी चोटें आई थीं। मारने के बाद मैं उस ड़ण्डे को वहीं छोड़कर घर से भाग गया था। फिर मेरे घर वाले मेरी माँ को इलाज के लिए अस्पताल ले गये थे किन्तु इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गयी जिसकी जानकारी जब मुझे हुई तो मैं पकड़े जाने के डर के कारण रात- भर खेतों में छिपा रहा और सुबह होते ही यहां से कहीं दूर भागने का प्रयास कर रहा था कि आज आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण –

1. विमलेश पुत्र लल्लू राम निवासी ग्राम खासबरा थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात मूल निवासी ग्राम तरसोल थाना सिरसा कलार जनपद जालौन उम्र लगभग 35 वर्ष।

अभियुक्त विमलेश उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 117/2026 धारा 115(2)/105 बीएनएस थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी का विवरण-

1. आलाकत्ल एक अदद लकड़ी का डण्डा।

गिरफ्तार करने वाली थाना राजपुर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री उपेन्द्र सिंह
2. हे0का0 579 विवेक सिंह तोमर
3. रि0का0 648 शिवा